

## केन्द्रीय कारागार, बरेली।

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-(4) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं पर मांगी गई सूचनाओं का बिन्दुवार प्रेषण।  
विभागों और उनके अधिकारियों की बाध्यतायें :- (धारा-4) सूचना

<p><u>बिन्दु सं0-1</u> अपने संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों के विवरण</p>	<p>— कारागार विभाग, न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालयों के आदेशों के अंतर्गत कारागार में निरुद्ध बंदियों की समुचित देखभाल/निगरानी एवं उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण।</p>
<p><u>बिन्दु सं0-2</u> अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य</p>	<p>— अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध बंदियों की कड़ी निगरानी करना, कारागार में संचालित विभिन्न उद्योगों में सजायाफ्ता बंदियों को प्रशिक्षित करना एवं दिन अथवा रात्रि में आकस्मिक भ्रमण कर उनकी सुरक्षा/भोजन व्यवस्था एवं उपचार इत्यादि की व्यवस्था करना।</p>
<p><u>बिन्दु सं0-3</u> पर्यवेक्षण और जबावदेही के स्रोत सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</p>	<p>— कारागार में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक परेड देखना एवं पाई गई किसी भी त्रुटि के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों का उत्तरदायित्व / जबावदेही निर्धारित कर नियमानुसार दंडित करना / दण्ड प्रस्तावित करना।</p>
<p><u>बिन्दु सं0-4</u> कार्यों को करने हेतु अपनाये गये मानक</p>	<p>— जेल मैनुअल के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों /कर्तव्यों का स्वयं निर्वहन करना एवं अपने अधीनस्थों से जेल मैनुअल का पालन कराना।</p>
<p><u>बिन्दु सं0-5</u> कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियमों, निर्देशों और अभिलेखों आदि का विवरण।</p>	<p>— जेल मैनुअल एवं मा0 न्यायालय तथा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों के अंतर्गत अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने दायित्वों /कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। कारागार में निरुद्ध बंदियों पर सतत निगरानी हेतु रात्रि गश्त पुस्तिका, दिन गश्त पुस्तिका, बैरक लिस्ट एवं गैंगबुक रखी जाती हैं।</p>
<p><u>बिन्दु सं0-6</u> विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के प्रकारों का वर्णन</p>	<p>— कारागार में मुख्यरूप से रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण निम्नवत है:- मुख्य द्वार पंजिका, बंदी प्रवेश एवं मुक्ति रजिस्टर, जेलर रिपोर्ट बुक, बंदी दंड रजिस्टर, बंदी पारिश्रमिक रजिस्टर, कारागार सम्पत्ति रजिस्टर नं0-66 <u>लेखा सम्बन्धी-कैश बुक</u>, वेतन रजिस्टर नं0-56, वेतन वितरण रजि0 नं0-70, बंदी जमा धनराशि रजिस्टर, कारागार कैश रजि0 नं0-55, बंदियों हेतु खाद्य सामग्रियों मदों में कारागार में जमा होने वाली धनराशि बुक नं0-15, बजट कंट्रोल रजिस्टर। <u>अधिष्ठान सम्बन्धी-अधिष्ठान रजिस्टर</u>, अधिकारी/कर्मचारी दंड रजिस्टर, पेंशन रजिस्टर, सेवापुस्तिकायें, वेतनवृद्धि</p>

	<p>रजिस्टर।  चिकित्सालय-चिकित्सक रिपोर्ट बुक, औषधि स्टाकबुक,  इन्जरी रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर, अस्पताल सम्पत्ति  रजिस्टर  उद्योग-रजिस्टर नं०-4, रजिस्टर नं०-31, रजिस्टर  नं०-32, रजिस्टर नं०-34, रजिस्टर नं०-5 एवं 6</p>
<p><u>बिन्दु सं०-7</u>  नीति निर्धारण के लिए जनता से परामर्श या सुझाव  लेने का प्रबंध, यदि कोई हो तो।</p>	- शून्य
<p><u>बिन्दु सं०-8</u>  विभाग में सलाह देने के लिए गठित दो या दो से  अधिक सदस्यों की समितियों आदि का विवरण तथा यह भी  कि उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी या नहीं तथा  उनकी कार्यवाहियों जन-सामान्य के लिए उपलब्ध होगी या  नहीं।</p>	- शून्य
<p><u>बिन्दु सं०-9</u>  अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पूर्ण  विवरण।</p>	- सूचना प्रारूप पर संलग्न है।
<p><u>बिन्दु सं०-10</u>  अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले  मासिक वेतन एवं परिलब्धियां।</p>	<p>- वेतन - 1119051.00  महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते- 1024019.00  कुल योग- 2143070.00</p>
<p><u>बिन्दु सं०-11</u>  विभाग के अंतर्गत समस्त अभिकरणों का बजट  तथा योजनाओं, प्रस्तावित व्यय एवं किये गये भुगतानों का  विवरण।</p>	- विवरण संलग्न है।
<p><u>बिन्दु सं०-12</u>  आवंटित धन एवं लाभार्थियों के विवरण सहित  अनुदान कार्यक्रमों को संचालित करने का तरीका।</p>	- कारागार विभाग में अनुदान कार्यक्रम संचालित नहीं किये जाते हैं और उक्त कारणवश इस मद में कोई धनराशि विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
<p><u>बिन्दु सं०-13</u>  छूट प्राप्त करने वाले का विवरण।</p>	- शून्य
<p><u>बिन्दु सं०-14</u>  इलेक्ट्रानिक प्रारूप में रखी गई सूचना का  विवरण।</p>	- शून्य
<p><u>बिन्दु सं०-15</u>  सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें।</p>	- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नियमानुसार कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है।

<u>बिन्दु सं0-16</u> जन सूचना अधिकारी का नाम, पद तथा अन्य विवरण।	– श्री बी0आर0 वर्मा, जन सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली। दूरभाष सं0-0581-2413421 बैठने का समय-प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक सायं 3.00 बजे से 5.00 बजे तक
<u>बिन्दु सं0-17</u> नियमों के अंतर्गत अन्य कोई सूचना।	– शून्य

## कर्मचारियों के संवर्गवार स्वीकृत पद, कार्यरत, रिक्ति का विवरण

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्ति	अधिकता	अन्य विवरण
1.	वरिष्ठ अधीक्षक	1	1	0	0	
2.	अपर अधीक्षक	1	0	1	0	
3.	कारापाल	2	1	1	0	
4.	उप कारापाल	13	10	3	0	
5.	चिकित्सा अधीक्षक	1	0	1	0	
6.	सहायक चिकित्साधिकारी	2	2	0	0	
7.	फार्मासिस्ट	4	4	0	0	
8.	रेडियोलॉजिस्ट	1	0	1	0	
9.	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	0	1	0	
10.	लैब टेक्नीशियन	1	1	0	0	
11.	सहायक लेखाकार	2	2	0	0	
12.	मुख्य वरिष्ठ सहायक	1	1	0	0	
13.	आशुलिपिक	1	1	0	0	
14.	वरिष्ठ सहायक	3	3	0	0	2व.स.डीआईजी कार्या0 बरेली पर सम्बद्ध
15.	टंकक	1	1	0	0	
16.	कनिष्ठ सहायक	2	2	0	0	1 क0स0 मुख्यालय सम्बद्ध
17.	कृषि पर्यवेक्षक	2	2	0	0	1 पर्यवेक्षक जि.का.रायबरेली पर सम्बद्ध
18.	फार्मलिपिक	1	1	0	0	
19.	काष्ठकला प्रशिक्षक	1	1	0	0	
20.	खेल प्रशिक्षक	1	0	1	0	
21.	आरा प्रशिक्षक	1	1	0	0	
22.	पॉलिस प्रशिक्षक	1	1	0	0	
23.	रंगार्इ प्रशिक्षक	1	1	0	0	
24.	कम्बल बुनार्इ प्रशिक्षक	1	1	0	0	
25.	कालीन डिजाइनर	1	1	0	0	
26.	दरी डिजाइनर	1	1	0	0	
27.	कालीन प्रशिक्षक	1	1	0	0	
28.	दरी बुनार्इ प्रशिक्षक	1	1	0	0	
29.	प्रधानाध्यापक	1	1	0	0	
30.	शिक्षाध्यापक	2	2	0	0	
31.	डार्करूम अटैण्डेन्ट	1	1	0	0	
32.	लैब अटैण्डेन्ट	1	1	0	0	
33.	एम्बूलेंस चालक	1	1	0	0	
34.	जीप चालक	1	1	0	0	
35.	ट्रैक्टर चालक	2	2	0	0	
36.	ट्रक चालक	1	1	0	0	
37.	मैसन टीचर	1	1	0	0	
38.	चक्की मिस्त्री	0	1	0	1	कि0स0बरेली की क्षमता का सम्बद्ध
39.	लौह प्रशिक्षक	0	1	0	1	उप कारागार महोबा की क्षमता का सम्बद्ध
40.	अम्बर चरखा प्रशिक्षक	1	0	1	0	
	<b>योग</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	

**बन्दीरक्षक संवर्ग**

1.	मुख्य प्रधान बन्दीरक्षक	1	0	1	0
2.	रिजर्व मुख्य प्रधान बन्दीरक्षक	1	0	1	0
3.	रिजर्व प्रधान बन्दीरक्षक	3	2	1	0
4.	प्रधान बन्दीरक्षक	36	18	18	0
5.	रिजर्व बन्दीरक्षक	19	13	6	0
6.	आर्म्ड गार्ड बन्दीरक्षक	15	17	0	2
7.	बन्दीरक्षक	156	143	13	0
8.	अनार्म्ड गार्ड बन्दीरक्षक	15	09	6	0
3 बं0र0जि.का.हमीरपुर ,बांदा,शाहजहांपुर, 0 1जि.का.फिरोजाबाद,में सम्बद्ध					
<b>योग</b>		<b>246</b>	<b>202</b>	<b>46</b>	<b>2</b>

**चतुर्थ श्रेणी संवर्ग**

1.	कामदार	1	1	0	0
2.	चरवाहा	1	1	0	0
3.	गाड़ीवान	1	1	0	0
4.	माली	1	4	0	3 (मृतक आश्रित हेतु पद सृजित)
5.	पनिहा	3	5	0	2 (मृतक आश्रित हेतु पद सृजित)
6.	चौकीदार,	0	1	0	1 (मृतक आश्रित हेतु पद सृजित)
7.	नाई	0	1	0	0 उत्तरांचल से प्राप्त
7.	स्वच्छकार	8	6	2	0
<b>योग</b>		<b>15</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>6</b>